

13/12/20

श्रीमान कलेक्टर को भेजा है पेशी इलतवा
होकर पत्रावली दिनांक 1-1-20 को पेश हो।

1-1-20 पत्रावली आज पेश हुई।

अपीलेंट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा
19(U) के सूचना के अधिका अधिनियम 2005 के तहत
प्रस्तुत का लोक सूचना अधिनियम SDO रानी को
बोधित सूचना उपलब्ध कराते हेतु निर्देशित
करते हेतु निवेदन किया है।

उपरोक्त अधिका रानी को लिख

जोत या उक्त प्रकार एवं बोधित सूचना
नगर पालिका रानी से सम्बन्धित होने से प्रकृता
पत्र धारा 6(3) के तहत स्थानोत्तरित करातुए
उक्त सूचना उपलब्ध कराते हेतु पत्र लिखते हुए
प्रति उक्त प्रकार से अधित की है अपीलेंट के
प्रकृता पत्र में भी गन्था रानी द्वारा अतिवृत्त व्यय
जोत ज्वानत कोश व दत्तवेजात की प्रतियो उपलब्ध
कराते का उल्लेख है तथा उक्त अतिवृत्त नगरपालिका
रानी द्वारा द्याया गया था। इस प्रकार इस न्यायालय
से यह प्रकार सम्बन्धित नहीं है। ऐसा ही राज्य
सूचना कायम जम्बु के निर्देश दि- 19-6-2019 से
भी उल्लेखित है तथा अपील रकारित की गई है।

उपरोक्त सती तथ्यों के आधार पर यह
अपील इस न्यायालय के कोषकीय नहीं होने
से निरास की जाती है।

पत्रावली शुभार फेलत होकर
नक्कल से कर हो।

जिला कलेक्टर, पाली